न्यायालयः- वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा (राज.)

Order Sheet

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

विजय गालव बनाम सिम्पलेक्स इन्फ्रास्ट्रचर लिमिटेड

दीवानी वाद संख्या-33/2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17.01.2026	वकील वादी श्री विजय सिंघल तथा वकील प्रतिवादी श्री यशवीर सिंह उपस्थित। प्रतिवादी के प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर बहस गत पेशी पर सुनी जा चुकी है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि वादी ने अपने वादपत्र की चरण संख्या-1 में वर्ष 2019-20 के लेजर एकाउन्ट के अनुसार 4,27,779 रूपये के बिलों का भुगतान प्रतिवादी की तरफ बकाया होने का कथन किया है। वादी का यह वाद अवधि बाधित है। इस वादपत्र को अवधि बाधित होने के आधार पर नामंजूर करने का निवेदन किया है। वादी ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र में कहा है कि वादी का वाद अवधि बाधित नहीं है। वादी द्वारा वादपत्र की चरण संख्या-4 में अंकित वर्ष 2019-20 का लेजर अकाउन्ट न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार प्रतिवादी ने दिनांक 01.05.2019 को 1,68,974 रूपये का भुगतान किया है। वादी ने दिनांक 27.03.2024 को यह दावा पेश किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 10.01.2022 को पारित आदेश के अनुसरण में दिनांक 05.03.2020 से 28.02.2022 तक की अवधि को परिसीमा अवधि से निकालने के बाद वादी का वाद अन्दर मियाद है। प्रतिवादी का प्रार्थनापत्र खारिज करने का अनुरोध किया है। दौराने बहस वादी एवं प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्तागण ने अपने अपने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराया है। 17.01.2026 (दलीप सिंह) न्यायाधीश वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा (राज.	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज C.S. 33/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय के अवलोकनार्थ निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये हैं:-

1. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी.सिविल मिस. अपील नं. 2338/2024, राजस्थान स्टेट व अन्य बनाम मै.प्रमान कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. में पारित निर्णय दिनांक 20.11.2025

2. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लेट दनयानू कृष्णा बनाम तुकाराम कृष्णा में पारित आदेश दिनांकित 10.01.2022

वादी के वादपत्र का अवलोकन करने मात्र से यह जाहिर नहीं होता है कि वादी का वाद अन्दर मियाद है या मियाद बाहर है, इसलिए इस मामले में मियाद का बिन्दू केवल विधि का प्रश्न नहीं है। इस मामले में मियाद के बिन्दु पर विचार करने के लिए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत की गई साक्ष्य पर विचार करना भी आवश्यक है। इस प्रकार इस मामले में मियाद का बिन्दु विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है।

माननीय नार्ने रामा मूर्ति बनाम रउला सोमासुन्दरम, (2005) 6 एस.सी.सी. 614 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां मियाद का बिन्दू शुद्ध विधि का प्रश्न हो और अभिवचन से ही यह स्पष्ट होता हो कि वाद अवधि बाधित है, तब न्यायालय का यह कर्तव्य है कि वह बिना किसी प्रतिवाद के शुरू में ही मियाद के बिन्दू को तय करे। किन्तु जहां मियाद का बिन्दु विधि और तथ्य का मिश्रित प्रश्न हो और मात्र अभिवचन को पढ़ने से ही यह दर्शित नहीं होता हो कि वाद अवधि बाधित है, तब अवधि के बिन्दू को विवाद्यक बनाकर तय किया जाना चाहिए। इस न्यायिक दृष्टांत में प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धांत की रोशनी में प्रश्नगत मामले में भी मियाद के संबंध में विवाद्यक बनाकर मियाद का बिन्दू तय किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया

17.01.2026

(दीप सिंह)
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा (राज.)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज C.S 33/24	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

प्रार्थनापत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज किया जाता है तथा मियाद के विषय में निम्नलिखित विवाद्यक कायम किया जाता है:-

"1. आया वादी का वाद अन्दर मियाद है ?

.....वादी"

यह प्रकरण वादी की साक्ष्य में चल रहा है। वादी उक्त विवाद्यक के संबंध में कोई साक्ष्य पेश करना चाहे तो वह ऐसा करने के लिए स्वतंत्र है। पत्रावली साक्ष्य वादी में दिनांक 20.01.2026 को पेश हो।

17-01-2026

(दलीप सिंह)
न्यायाधीश,
वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा

(दलीप सिंह)
न्यायाधीश
वाणिज्यिक न्यायालय, कोटा (राज.)